

मा०-५५५ | १२०१८/रीवा/भू-

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल  
सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



- 1— दर्शन मिश्रा तनय स्व० सुरेश कुमार मिश्रा, उम्र 22 वर्ष, निवासी गुलाब नगर समान, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)
- 2— संजय सिंह गहरवार तनय राजनारायण सिंह गहरवार, उम्र 42 वर्ष, निवासी निर्मल एम्पायर, समान, साधूश्री गार्डन के पास समान रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)

—निगरानीकर्तागण

बनाम

सीमा बंशल पत्नी राजेन्द्र कुमार बंशल, उम्र 50 वर्ष, निवासी हेडगेवार नगर रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)

—गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क०-४/अ-१२/१७-१८ में पारित आदेश दिनांक ०५/०५/२०१८

अंतर्गत धारा ५०(१) म०प्र० भू राजस्व संहिता

मान्यवर

#### प्रकरण के तथ्य :-

यह कि निगरानीकर्ता क०-१ दर्शन मिश्रा जो कि आ०न०-५१९/७/ग/क रकवा 0.168 हे०, स्थित ग्राम समान, पटवारी हल्का समान, तहसील हुजूर, जिला रीवा. (म०प्र०) का भूमिस्वामी है और निगरानीकर्ता क०-२, निगरानीकर्ता क०-१ से जरिये रजिस्टर्ड विक्य पत्र दिनांक २६/०८/२०१७ खरीदकर वाद खरीद मौके से कब्जा दखल कायम है और निगरानीकर्ता क०-२ के नाम ५१९/७/ग/१३ रकवा 0.016 हे० के रूप में खसरे में पृथक

दर्शन मिश्रा

५१९/७/१३

४४

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 4441- रीया/18 ..... जिला..... रीया .....

.....दरगति दिनांक..... विरुद्ध नाम सभी हीमा घोशला .....

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... जिलेत्तु तीकारी..... अधिवक्ता  द्वारा यह नक्ष्या तहसीलदार तहसील..... इन्हरे (रीवा) के  प्रकरण क्रमांक..... ०४/३५/१२/१७-१९ ..... में पारित आदेश  दिनांक..... ५-५-२०१८ ..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-  राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप  अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)  के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... रीवा ..... के न्यायालय  को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ..... ५.३.१९ ..... को  कलेक्टर..... रीवा ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	